

परिशिष्ट - दो
प्रपत्र - 2

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली, 2011 के नियम-17 को देते

दूरभाष
फैक्स

कार्यालय मुख्य शिक्षा नैनीताल, उत्तराखण्ड

पत्रांक - 12784

दिनांक 30.3.13

सेवा में

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक

श्री डी. सुभारिचल स्कूल
धार बिठौरिया हल्दीनी

विषय - निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19(2) के अन्वये प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र दिनांक 14.3.13 के अन्वये आपके विद्यालय श्री डी. सुभारिचल स्कूल धार बिठौरिया (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता) को अधिनियम की धारा-19(2) के अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। जनपद नैनीताल में आपके विद्यालय के पंजीकरण की संख्या 135 है। भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली के नियम-18 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद - नैनीताल
उत्तराखण्ड